UPET010009032026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.) एटा।

उपस्थितः शशि भूषण कुमार शांडिल 'H.J.S.'
(J.O CODE-UP 02751)

जमानत आवेदन पत्र संख्या 363 वर्ष 2026

महबूब पुत्र गुलाब,उम्र करीब 35 वर्ष ,
निवासी ग्राम नगला गंगी थाना फरिहा,जनपद फिरोजाबाद.

.....प्रार्थी/अभियुक्त

प्रति

उ0प्र0राज्य.

धारा–272,273,420 भा.द.स.
व 60 आव.अधि.
थाना–अवागढ,जनपद एटा।
अ0स0–244/2010.

09.03.2026

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त महबूब की ओर से यह जमानत आवेदन पत्र धारा 272,273,420 भा.द.स. व 60 आव.अधि. थाना अवागढ़, जनपद एटा में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत आवेदन में यह आधार अंकित किये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त नितान्त निर्दोष है उसके द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। बेहद गरीब व्यक्ति है। जमानत के बाद मजदूरी करने दिल्ली चला गया था। प्रार्थी/अभियुक्त मोबाइल फोन नहीं रखता है ऐसी सूरत में अपने अधिवक्ता से कार्यवाही के सम्बन्ध में बात नहीं कर पाया ना ही उनकी फीस संदाय कर सका। उसी दौरान न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट तत्पश्चात अन्य कार्यवाहियॉ जारी हो गयी। दीपावली के त्यौहार पर घर आया तो उसकी पत्नी ने बताया कि लम्बे अरसे से उसे पुलिस तलाश कर रही है तब अधिवक्ता से सम्पर्क कर न्यायालय में आत्म समर्पण किया। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की है ना ही भविष्य में करेगा तथा नियत तिथियों पर उपस्थित आता रहेगा।तदनुसार जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

Digitally signed by SHASHI BHUSHAN KUMAR SHANDIL
Date: 2026.03.09 16:13:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया तथा कहा कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरूपयोग किया गया है अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण का विचारण प्रभावित हुआ है।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त इस प्रकरण में पूर्व में जमानत पर था, नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित न आने के कारण, न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अजमानतीय अधिपत्र व धारा 82 व 83 द.प्र.स. की आदेशिकायें निर्गत की गयी। अभियुक्त द्वारा दिनांक **04.12.2025** को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आत्म समर्पण किया गया जिसके आधार पर अभियुक्त का धारा 309 द.प्र.स. का वारण्ट बनाया गया। अभियुक्त उक्त प्रकरण में दिनांक **04.12.2025** से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध हैं। अभियुक्त की ओर से कथन किया गया है कि वह मजदूरी करने बाहर चला गया था इस कारण न्यायालय हाजिर नहीं आ सका जानबूझकर कोई गलती नहीं की है भविष्य में न्यायालय में नियत तिथियों पर आता रहेगा इस आशय की अंडर टेकिंग दाखिल करने को तैयार है । अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर बिना टिप्पणी किये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का उचित आधार है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त महबूब का जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को उसके द्वारा 50,000–00 (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समराशि का एक नया प्रतिभू दाखिल करने पर एवं इस आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करने पर कि वह भविष्य में नियत प्रत्येक तिथि पर न्यायालय उपस्थित होता रहेगा, उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

(शशि भूषण कुमार शांडिल)
विशेष न्यायाधीश(द.प्र.क्षे.)एटा.